राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 92/2021

GCMS No.2021/525

1. बबीता पत्नी स्व. श्री जुगल किशोर हाल पुनः विवाह पर पत्नी श्री राजकुमार जाति माली उम्र 45 वर्ष निवासी हनुमान की ढाणी अमर नगर टीबा वाली भिवानी (हरि0)
2. कोमल पुत्री स्व. श्री जुगल किशोर जाति माली उम्र 21 वर्ष निवासी हनुमान की ढाणी अमर नगर टीबा वाली भिवानी (हरि0)
3. आशा पुत्री स्व. श्री जुगल किशोर जाति माली उम्र 23 वर्ष निवासी हनुमान की ढाणी अमर नगर टीबा वाली भिवानी (हरि0)

........वादियागण

ब–ना–म

1. मदन लाल पुत्र कालूराम
2. नानग पुत्र कालूराम
3. बनवारी पुत्र कालूराम

} जाति माली निवी बावड़ी तन् बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

4. सुमित्रा पुत्री कालूराम पत्नी सीताराम जाति माली निवासी बसन्त विहार फाटक नं. 03 भवानी स्कूल के पास सीकर जिला सीकर, राज0
5. पप्पू पुत्र पूर्णमल जाति माली निवासी ढाणी बावड़ी तन् बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. सरोज पुत्री पूर्णमल पत्नी दीनदयाल जाति माली निवासी ढाणी बावड़ी तन् बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद मु.पो. चीतूरानोली जिला सीकर, राज0
7. लक्ष्मी देवी पत्नी ग्यारसी लाल
8. संजय पुत्र ग्यारसीलाल
9. सुनील पुत्र ग्यारसीलाल
10. सुरेश पुत्र ग्यारसीलाल

} जाति माली निवासी ढाणी बावड़ी तन् बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

11. बबली पुत्री ग्यारसी लाल पत्नी भागीरथ जाति माली निवासी ढाणी बावड़ी तन् बबाई हाल आबाद ढाणा तन् सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणा खातेदारी एवं खाता विभाजन

:: निर्णय :: **दिनांक : 13–12–2022**

वादियागण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम बबाई स्थित भूमि ख.नं. 500 रकबा 0.53 है. भू[illegible] की खातेदारी में थी जो कि कालूराम की दिनांक 11.08.2001 को मृत्यु हो चु[illegible]सका विरासतन इंतकाल संख्या 858 दिनाक 22.01.2021 को न्या[illegible] प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 11 के नाम चढ़ा है। वादीगण एवं प्रतिवादी के अला[illegible] पत्नी विनोद हिस्सा 1/9 व रेखा पत्नी जगदीश हिस्सा 1/9 के नाम भी इतकाल चढ़ा है। परन्तु अनीत[illegible] पति का एवं रेखा पत्नी जगदीश के पतियों का स्वर्गवास उ[illegible] पिता कालूराम की मृत्[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:07:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

पहले हो चुका है। उनके कोई संतान नहीं थी एवं उन्होंने कालूराम की मृत्यु से पहले ही अर्थात् सन् 2000 से पहले ही पुनर्विवाह कर लिया था अतः उनका कालूराम की उक्त कृषि भूमि ख.नं. 500 में कोई हिस्सा नही है वैसे भी अनीता व रेखा की भी मृत्यु हो चुकी है इसलिए भी उन्हें दावे में पक्षकार नहीं बनाया है। विनोद पुत्र कालू व जगदीश पुत्र कालू दोनों का प्रत्येक का 1/9 हिस्सा भी वादियागण व प्रतिवादीगण को ही विरासतन मिल चुका है। इसलिए वादीगण का कालूराम की सम्पति में 1/9 हिस्से की बजाय 1/7 हिस्सा है क्योंकि कालूराम की मृत्यु पर उसके कानूनन वारिश कालूराम के 6 पुत्र व 1 पुत्री है अथवा पुत्रों की संतान ही नहीं है। इस प्रकार वादियागण मृतक कालूराम की सम्पति में 1/9 की वजाय 1/7 हिस्से की खातेदार है व इसी असर की घोषणा व 1/7 हिस्से की भूमि का खाता अलहदा करवाने की अधिकारी है। अतः यह दावा घोषणा व खाता विभाजन पेश है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के ग्राम बबाई स्थित ख.नं. 500 रकबा 0.53 है. में 1/7 हिस्से कर खातेदार घोषित किया जाकर 1/7 हिस्सा का खाता अलहदा कर उनका अलग हिस्से पर कब्जा कराया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण वावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित, इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादियागण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता सं. 5 (प्रदर्श–1) ग्राम बबाई पेश की तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र आशा पुत्री स्व. श्री जुगल किशोर (पी.डब्ल्यू.–1), बबीता पत्नी स्व. श्री जुगलकिशोर (पी. डब्ल्यू.–2) भी पेश किये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादियागण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली पर जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता सं. 5 ग्राम बबाई में वादियागण प्रत्येक का 1/27–1/27 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है जो वादियागण के वाद पत्र की खण्ड सं. 1 में कथनानुसार ग्राम बबाई स्थित भूमि ख.नं. 500 रकबा 0.53 है. भूमि कालूराम पुत्र गीदाराम की मृत्यु के पश्चात् विरासतन इंतकाल संख्या 858 दिनांक 22.01.2021 को न्यायालय आदेश से दर्ज हुआ है। वादियागण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में ना तो उक्त न्यायालय आदेश की प्रति तथा ना ही वर्तमान जमाबन्दी के अलावा अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादियागण का वाद खातेदारी घोषणा का अनुतोष साबित नहीं होता है। वैसे भी स्व. कालूराम के वारिशान का निर्धारण करना पंचायत के क्षेत्राधिकार में है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादियागण पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादियागण साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13–12–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:07:01 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

बबीता आदि

ब–ना–म

मदन लाल आदि

दावा बाबत **घोषणा खातेदारी एवं खाता विभाजन**

मुकदमा नम्बर :– **92/2021**

निर्णय दिनांक :– **13–12–2022**

वादियागण की ओर से **श्री राधेश्याम भारद्वाज एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से .... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **13–12–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादियागण साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **13–12–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:07:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner